(वाद संख्या–3985/4/3/2020)

12.08.2021

प्रसंगाधीन मामला बांका जिलान्तर्गत बौंसी अंचल के ग्राम पंचायत कैंरी, ग्राम गोरगम्मा के सरकारी सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने के संबंध में परिवादी मोनु झा के परिवाद से संबंधित है।

उक्त के संबंध में जिला पदाधिकारी, बांका के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित अंचलाधिकारी, बौंसी के प्रतिवेदनानुसार गोरगम्मा में परिवादी मोनु झा नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है। प्रतिवेदनानुसार, अंचलाधिकारी, बौंसी द्वारा जब परिवाद–पत्र में उल्लेखित तथ्यों की जांच की गई तो ग्राम गोरगम्मा में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं पाया गया।

अब जबकि अंचलाधिकारी, बौंसी द्वारा संबंधित स्थल पर कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया है तो ऐसी परिस्थिति में जिला पदाधिकारी, बांका के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार **जिला पदाधिकारी, बांका** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति (अनुलग्नकों सहित) संलग्न करते हुए परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक